CNR NO- UPRN12-002751-2023

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

परिवाद मु०सं०–1681/2023

शैलेन्द्र कुमार बनाम शशी आदि ।

थाना –भोगनीपुर, कानपुर –देहात ।

22–04–2025

पत्रावली पेश हुई । पुकार करायी गयी । प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है । पत्रावली वास्ते आदेश नियत है ।

प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी ने चेक सं० 541355 शाखा भारतीय स्टेट बैंक शाखा पुखरायां कानपुर देहात की मु० 9,00,000/– रूपया दिनांक 01–06–2022 की शशी पत्नी रामबहादुर दीक्षित निवासिनी मालवीय नगर पुखरायां के नाम की दी थी । उसने विपक्षी सं० 1 को इस आशय से चेक दी थी कि जिस प्लाट का बैनामा उसने अपनी पत्नी स्वेता के नाम खरीदा है उसी का कुछ भाग विपक्षी ने भी खरीदा है जिसमें रूपया कम पड़ जाने के कारण उसने उधार कुछ दिन के लिए दिया था । उसने जो रूपया चेक के माध्यम से दिया है एवं बैनामा जो एक साथ अलग अलग करवाया था उसकी छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ एवं बैंक के भुगतान का स्टेटमेंट की छायाप्रति संलग्न है । उसने अपना रूपया काफी समय के बाद मांगा तो विपक्षी रूपया देने से असमर्थता जताने लगा बार बार रूपया मांगने पर तथा लम्बा समय व्यतीत होने पर उसको केवल आश्वासन मिलता रहा । दिनांक 26–07–2023 को शाम लगभग 6 बजे अपना रूपया उसके घर जाकर मांगा तो विपक्षीगणों ने एक राय होकर रूपया देने से मना कर दिया और मां बहन की गालियां देते हुए हमलावर हो गये । उसने शोर मचाया तो मोहल्ले के कई लोग व राहगीरों ने ललकारा एवं बीच बचाव किया विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये । उसने घटना की लिखित सूचना थाना भोगनीपुर में दिया कोई कार्यवाही नहीं हुई तो घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द०प्र०सं० माननीय न्यायालय में दाखिल किया ।

न्यायालय आदेश दिनांकित 13–09–2023 के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया ।

परिवादी की ओर से परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० तथा गवाहान पी०डब्लू० 1 महेश कुमार व पी०डब्लू० 2 अनिल कुमार का बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र० सं० कराया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में कथित चेक की छायाप्रति, बैंक स्टेटमेंट,कथित पंजीकृत बैनामों की छायाप्रतिया,स्वयं का आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है ।

Digitally signed by SUNIL GUPTA
Date: 2025.04.22 16:25:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं प्र०सं० में कथन किया गया कि रामबहादुर को बैनामें हेतु पैसे की जरूरत थी उसने शशी देवी जो कि उनकी बीबी है को नौ लाख रूपये का उधार जरिये चेक दिया था जिसकी स्टेटमेंट पत्रावली पर दाखिल है । जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो पहले तो वह टाल मटोल करते रहे फिर दिनांक 26–07–2023 को शाम 6.00 बजे वह राम बहादुर के घर गया पैसे मांगा तो राम बहादुर ,शशी एवं अंकित ने उसे भद्दी गालियां दिया और मारने को दौड़े , लोगों के आ जाने पर ये लोग यह कह कर भाग गये कि अगली बार अगर पैसा मांगा तो देख लेंगे । पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इस प्रकार विपक्षी/ अभियुक्ता श्रीमती शशी द्वारा छल पूर्वक बेईमानी से धन हड़पने व गाली गलौज करने का प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। शेष विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अतः सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व परिवादी तथा उसकी तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी / अभियुक्ता श्रीमती शशी को अन्तर्गत धारा 420, 504 भा०द०सं० में तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

आदेश

अभियुक्ता श्रीमती शशी को धारा–420, 504 भा०दं०सं० में तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। पत्रावली दिनांक 21–05–2025 को पेश हो।

दिनांक 22–04–2025

(सुनील गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

I.D.No.3805